<u>प्रेस नोट</u>

श्रमिक वर्ग और गरीब व्यक्तियों की मदद हेतु समाहर्तालय, दीव में खोला गया अन्नदान सेण्टर

दीव, दिनांक 30/03/2020 :- कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 को देश में फैलने से रोकने और इसे पूरी तरह देश से निकाल बाहर फेंकने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉकडाऊन किया गया है, जो 14 अप्रैल तक लागू रहेगा । भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाऊन तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों के तहत समाहर्ता, दीव ने लॉकडाऊन को दीव में पूर्ण रूप से लागू कराने हेतु कई एहतियाती कदम उठाये हैं । उठाये गए कदमों के परिणामस्वरूप दीव में लॉकडाऊन का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है । इस दौरान जनता को परेशानी न हो, इसका भी दीव प्रशासन की तरफ से समुचित ख्याल रखा जा रहा है ।

देश में लागू लॉकडाऊन के फलस्वरूप सामाज के हर वर्ग पर कुछ हद तक असर पड़ा है । श्रमिक वर्ग और गरीब व्यक्ति इससे कुछ ज्यादा प्रभावित हुए हैं । पर इनकी मदद के लिए प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, एजेंसीज, फर्म और आमजनता में से कुछ लोगों ने हाथ बढ़ायें ।

दीव प्रशासन इन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए समाहर्तालय, दीव में **अन्नदान सेंटर** खोला है । जो कोई सामाजिक संस्थाएं, एजेंसीज, फर्म और व्यक्ति जरूरतमंद श्रमिकों / गरीब व्यक्तियों को उपयोगी खाद्य सामग्रियों (भोजन, राशन, दवाई, मास्क, सेनिटाइजर) या आर्थिक मदद करना चाहता है, वे समाहर्तालय, दीव में स्थापित **अन्नदान केन्द्र** में जमा करा सकतें हैं । इसके लिए जगदीश सोलंकी, प्रवर श्रेणी लिपिक, समाहर्तालय, दीव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाईल सं0.9998887193 है और हेल्पलान न. 252111/ 252444 है ।

जरूरतमंद श्रमिक / गरीब व्यक्ति जो कोविड-19 एवं लॉकडाउन के कारण भोजन से वंचित हों, वे कृपया ऊपर दिए गए नम्बर तथा हेल्पलाईन सं. 104 पर संपर्क करें । उन्हें तत्काल प्रभाव से भोजन और उपयोगी खाद्य / जरूरत सामग्रियॉ (भोजन, राशन, दवाई, मास्क, सेनिटाइजर) उपलब्ध कराई जाएंगी ।

~~~
~~~